जांच ब्यूरों द्वारा जांच करा रही है/जांच कराने की विचार रखती है;

(ख) क्या सरकार स्वंतत्र एंव निष्पक्ष जांच कराने के लिए पांच-प्रक्रिया पूरी होने तक कुलपति को उनके पद से हटाने का विचार रखती है, और

(ग) सरकार की इस संबंध में प्रक्रिया क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (डा0 मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति तथा अन्य लोगों के खिलाफ कुछ शिकायतें भेजी है। इस मंत्रालय द्वारा प्रारंभिक जांच की गई थी तथा रिपोर्ट केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पास भेज दी गई थी। आयोग ने मंत्रालय से कुछ स्पष्टीकरण तथा विचार मांगे हैं जो भेजे जा रहे हैं। इसी बीच कुलपति के सेवानिवृत्त होने पर एक नये कुलपति की नियुक्ति पहले ही कर दी गई है। तथा उन्होंने अपना कार्यभार भी संभाल लिया है।

Education as a Fundamental Right

1157. SHRI NILOTPAL BASU: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government are considering to accept Education as a fundemental Right in the constitution; and

(b) if not, the reasons thereof?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI HANOHAR JOSHI): (a) and (b) The report of the Parliamentary Standing Committee on the Constitution (Eighty-Third Amendment) Bill, 1997 is under examination. It is felt that a wider debate on the implications of the proposed legislation should be initiated.

फैजाबाद और इलाहाबाद के बीच चलने वाली "सरयू एक्सप्रेस" को "फास्ट पैंसेजर ट्रेन" में बदलना

1158. **श्री सुर्यभान पाटील व्हाडणे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि:

(क) क्या सरकार फैजाबाद और इलाहाबाद स्टेशनों के मध्य चलने वाली रेलगाड़ी "सरयू एक्सप्रैस" को "फास्ट्र पैसेजर ट्रेन" के रूप में परिवर्तित करने का विचार रखती है जिससे कि उक्त रेलगाड़ी से छोटी दूरी की यात्रा करने वाले यात्री कम किराए पर यात्रा कर सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त रेलगाड़ी दोनों स्टेशनों के मध्य स्थित लगभग सत्तर प्रतिशत स्टेशनों पर ठहरती है, क्या सरकार शीघ्र ही उसे "फास्ट पैंसेजर" घोषित करेगी जिससे अधिकाधिक संख्या में लोग लाभान्वित हो सकें ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं। 4125/4126 फैजाबाद/इलाहाबाद सरयू एक्सप्रेस गाड़ियां भागवर्ती 21 स्टेशनों में से केवल 10 स्टेशनों पर ठहरती है।

गाजियाबाद –मुरादाबाद रेल मार्ग पर दोहरी लाइन बिछाने का प्रस्ताव

1159. **श्रीमती मालती शर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार गाजियाबाद-मुरादाबाद रेल मार्ग पर दोहरी लाइन बिछाने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इकहरी रेल लाइन होने के कारण यात्री गाड़ियां और माल गाड़ियां कई घंटे विलंब से चलती हैं जिससे माल के परिवहन में अनावश्यक विलंब होता है, और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस लाइन को अगले दो वर्षो में बदलने के लिए बजट में विशेष प्रावधान करने का विचार रखती हूं, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, हां, कार्य प्रगति पर है और गाजियाबाद और हापुड़ के बीच प्रथम चरण में हैं और इसका दिसंबर, 2000 तक पूरा होने का लक्ष्य है हापुड़ मुरादाबाद के चरण – II का कार्य चरण। का कार्य पूरा होने पर शुरू किया जाएगा.

(ख) जी हां;

(ग) 1998-99 के बजट में 10 करोड़ रूपये की विशेष व्यवस्था की गई है। भाग (क) के उत्तर से

संबंधित उल्लिखित कार्य के लक्षय को पूरा करने के लिए बजट की व्यवस्था अगले वित्त वर्ष में की जाएगी। बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

Demand for Daily Service of Ahmedabad-Dclhi Rajdhani Express

1160. SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether a demand has been made by the public that the Ahmedabad-Dclhi Rajdhani Express via Jaipur and Ajmer which operates once in a week be converted into daily service;

(b) whether the proposal is under consideration of Government; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI RAM NAIK): (a) to (c) Frequency of New Delhi-Ahmedabad Swarnajayanti Rajdhani Express has been increased from weekly to tri-weekly from 25.4.1998. Further increase in its frequency to daily is not feasible at present.

Recruitment Procedure for Railway Services

1161. DR. ALLADI P. RAJKUMAR: *Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a series of changes are proposad to be made in the recruitment procedure for entry into the railway services;

(b) if so, the details and the special feature of the new procedure; and

(c) in what way will the new procedure be more effective/transparent to overcome the alleged malpractices in the existing procedure?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI RAM NAIK): (a) and (b) The recruitments to Group 'C' & 'D' posts on the Railways are made as per the procedure laid down in the relevant instructions, and the procedure essentially requires the vacancies to be notified and all the eligible candidates applying against such notifications being considered. The recruitment to Group 'C' posts is generally made through the Railway Recruitment Boards (RRBs).

While there has been no change in the procedure outlined above, the working of RRBs has been reviewed recently and a number of measures as detailed in the enclosed Statement *(See below)* taken to revamp the RRBs to restore their credibililty.

(c) The new procedure will enable—

—close monitoring of the working of RRBs.

—streamline the selection procedure, so as to eliminate any possibility of tampering with answer sheets and evaluation;

—ensure better accountability of RRBs. and

—establish a system of investigation of complaints which will enhance confidence of the public in the working of RRBs.

Statement

Measures taken to revamp the RRBs

In view of a large number of complaints being received, a thorough review of the functioning and set up of the RRBs has been undertaken and the following important measures have been taken to revamp the same with the objective of restoring the credibility of RRBs and the confidence of the public at large and the candidates in particular in the fair and impartial functioning of these recruitment agencies.

(i) To constitute an apex body named Railway Recruitment Control Board (RRCB) at Railway Board level with Member Staff, Railway Board as Chairman, Additional Member (Staff) and Additional member (Vigilance), Railway Board as members and Executive Director, Establishment (RRB), Railway